न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 02/2010/निगरानी

भागीरथमल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम अगलोई ग्राम पंचायत रोयल पंचायत समिति खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

निगरानीकर्ता

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत रोयल पंचायत समिति खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2 प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला जरिये प्रधान पंचायत समिति खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला के आदेश दिनांक 08.09.2010 अपील संख्या 46/2006 उनवानी भागीरथमल बनाम ग्राम पंचायत रोयल

वकील प्रार्थी श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थी श्री जगराम कुड़ी

निर्णय **दिनांकः—11.11.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि योग्य अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष अपीलांट द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत के चुनौतिग्रस्त निर्णय के विरूद्व धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अपील प्रस्तुत की थी। उक्त अपील को अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति ने दिनांक 08.09.2010 को बिना अवलोकन किये एवं पत्रावली तलब किये बिना ही सरसरी तौर पर अपील को खारिज कर दिया गया। योग्य प्रशासन एवं स्थापना समिति तथा ग्राम पंचायत दोनों के ही निर्णय विधि सम्मत नहीं होकर गांव की पार्टीबाजी एवं राजनैतिक दबाव के कारण किये गये है तथा निगरानीकर्ता के अधिकार स्वामित्व एवं पुराना कब्जा के बाड़ा को खुर्दबुर्द करने एवं उक्त जगह पर कभी भी कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद भी निगरानीकर्ता के बाड़ा की भूमि को रास्ता की भूमि बताकर निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। योग्य अधीनस्थ समिति द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के विरूद्व निर्णय पारित किया है जबकि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य वर्णित कर दिये थे, परन्तु अपील में वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना निगरानीकर्ता के बाड़ा को सार्वजनिक रास्ता पर अतिक्रमण मानकर अपील खारिज की है जबकि मौके पर कभी कोई सार्वजनिक रास्ता पूर्व में नहीं था ना ही वर्तमान में है। वस्तुस्थिति यह है कि— ग्राम अगलोई में निगरानीकर्ता का एक बाड़ा उसके पिता के समय से पिछले 50 वर्षों से अवस्थित है जिसकी नाव उत्तरी भूजा 71 फुट, दक्षिणी भूजा 90 फुट, पश्चिमी भुजा 120 फुट, पूर्वी भूजा 115 फुट है जिसकी सीमा पर निगरानीकर्ता का पत्थरों का पारा लगा हुआ है जिसमें निगरानीकर्ता के मवेशियों के खुटें इत्यादि बने हुये है। प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं कुछ स्वार्थी तत्वों से ग्राम पंचायत के सरपंच ने गलत आवेदन प्राप्त करके दिनांक 27.03.2006 को निगरानीकर्ता के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपील निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानीकर्ता की अपील को भी निरस्त कर दिया गया। रास्ता के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत को धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत खेतों के रास्तों के संबंध में ही निर्णय पारित करने का अधिकार है, सार्वजनिक रास्ता के सम्बन्ध में निर्णय पारित करने का ग्राम पंचायत को क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। योग्य अधीनस्थ ग्राम पंयायत एवं योग्य अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति ने जिस जगह को सार्वजनिक रास्ता की भूमि बताया है उक्त जगह राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी नक्शा में कही भी रास्ता दर्ज नही है, ना ही इस संबंध में योग्य अधीनस्थ पंचायत एवं पचांयत समिति ने हल्का पटवारी या तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त की। निगरानीकर्ता के बाडा के संबंध में माननीय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) श्रीमाधोपुर के समक्ष दावा संख्या 49/06 बी0टी 09/10 बउनवानी भागीरथ बनाम ग्राम पंचायत दिनांक 06.06.2006 से ही विचाराधीन है जिसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 51/2006 बी टी 09/2010 विचाराधीन है। उक्त वादपत्र एवं टी0 आई0 आवेदन वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क0ख0) श्रीमाधोपुर के समक्ष विचाराधीन है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विवादित स्थल की यथास्थिति बनये रखने हेतु आदेश पारित किया गया है तथा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा मौका की वास्तविक स्थिति रिकार्ड पर लाने हेतू मौका कमिश्नर सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था जिसने दिनांक 07.06.2006 को मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट उभय पक्षों की मौजुदगी में मौका पर ही तैयार कि थी। उक्त सभी दस्तावेजात अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला के समक्ष अपील में प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु योग्य अधीनस्थ समिति ने सभी दस्तावेजात को नजरअन्दाज करके मात्र आठ लाइन का निर्णय पारित किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ समिति ने पत्रावली पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजात का विधिपूर्ण विवेचन नही करके कानूनी भूल की है तथा अधिनस्थ समिति का निर्णय दिनांकित 08.09.10 "स्पीकिंग आर्डर" की श्रेणी में नही आता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला का निर्णय दिनांकित 08.09.2010 अपील संख्या 46/06 एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 27.03.2006 प्रस्ताव संख्या 1 को निरस्त किया जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम ग्राम अगलोई ग्राम पंचायत रोयल के ग्रामवासियों द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रोयल के समक्ष आवेदन पेश कर ग्राम अगलोई से पश्चिम की ओर ग्राम रोयल जाने वाले रास्ते को श्री भागीरथराम पुत्र रामलाल जाट द्वारा पत्थर डालकर अवरूद्व करने पर उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत रोयल द्वारा दिनांक 07.03.2006 को आवेदन के सम्बंध में श्री भागीरथराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी अगलोई के नाम से उक्त रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को तीन दिवस में हटाने बाबत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस पर अप्रार्थी भागीरथमल द्वारा नोटिस लेने से इन्कारी की रिपोर्ट अंकित की हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत रोयल, उप सरपंच, पंच के द्वारा किया गया मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.02.06 का अवलोकन किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "ग्राम अगलोई से रोयल जाने वाले रास्ते पर श्री भागीरथराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी अगलोई द्वारा पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्व कर रखा है, जिससे रास्ते से गाड़ी, मोटर, उटगाड़ी कोई भी वाहन रास्ते से नहीं गुजर सकता। आने–जाने वालो को भयंकर असावधानी हो रही है।" पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2006 में अंकित किया गया है कि "ग्राम पंचायत रोयल के साथ ग्राम अगलोई के खसरा नम्बर 223/2 रकबा 1.00 है0 गै.मु.आबादी ग्राम पंचायत रोयल के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर रास्ते में पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त आराजियात ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आता है।" उक्त सम्पूर्ण

दस्तावेजात के आधार पर ग्राम पंचायत रोयल द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा दिनांक 27.03.2006 को निर्णय पारित कर प्रार्थी भागीरथमल द्वारा रास्ते की भूमि पर पत्थर डालकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अतिक्रमी भागीरथ को आम रास्ते से बेदखल कर अतिक्रमण हटाने बाबत आदेश सर्वसम्मति से पारित कर दिया। ग्राम पंचायत रोयल द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 27.03.2006 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रार्थी भागीरथमल द्वारा प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा प्रार्थी भागीरथमल पुत्र रामलाल जाट निवासी अगलोई एवं सरपंच ग्राम पंचायत रोयल को नोटिस जारी कर दिनांक 08.09.2010 को पंचायत समिति के कार्यालय में अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया। प्रार्थी भागीरथमल की और से वकील श्री भजनाराम ने वकालतनामा पेश कर पैरवी की। सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत एवं दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा दिनांक 08.09.2010 को निर्णय पारित कर निर्णय में अंकित किया है कि कोरम द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के कारण आम लोगों के आवागमन की समस्याओं व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को देखते हुए श्री भागीरथमल/रामलाल जाट निवासी अगलोई की अपील पत्रावली को खारिज कर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों के मुताबिक एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर प्रार्थी भागीरथ मल द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) श्रीमाधोपुर के न्यायालय में ग्राम पंचायत रोयल के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने पर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 04.09.2012 को आदेश पारित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण खारिज कर दिया गया। न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 04.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्व प्रार्थी भागीरथ द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण में दिनांक 01.02.2013 को विस्तृत निर्णय पारित कर प्रार्थी भागीरथ द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रोयल एवं प्रशासन स्थापना एवं स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा प्रकरण के सम्बंध में मौका सम्बंधी जांच एवं सम्पूर्ण व्याख्या करते हुए पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय में विवादित स्थल पर प्रार्थी भागीरथमल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी अगलोई द्वारा रास्ते की भूमि पर एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होना अंकित करते हुए निर्णय पारित किया है एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) श्रीमाधोपुर, अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर द्वारा भी उभयपक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य लेने के उपरांत विधिवत रूप से पारित किये गये निर्णय में भी उक्त विवादित स्थल पर प्रार्थी भागीरथमल का अतिक्रमण होने से प्रार्थी भागीरथमल द्वारा प्रस्तुत अपील/आवेदन स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जा चुके है। अतः उपरोक्त न्यायालयों द्वारा पारित किये गये विस्तृत निर्णयों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2010 एवं ग्राम पंचायत रोयल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2006 में किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलेक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.13 17:10:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: